न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

1) राजस्व अपील संख्या :—188 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 188

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
दिनेश कुमार पुत्र सांकलचंद जी जाति जैन निवासी बडगॉव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

2) राजस्व अपील संख्या :—274 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 274

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
लक्ष्मीचंद पुत्र लेहरचंदजी, जाति जैन, निवासी— बडगाँव, तहसील—रानीवाडा, जिला—जालोर राज		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

3) राजस्व अपील संख्या :—210 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 210

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
मिश्रीमल पुत्र लालचंद, जाति जैन निवासी बडगांव, तहसील—रानीवाड़ा, जिला— जालोर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

4) राजस्व अपील संख्या :—209 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 209

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
दलीचंद पुत्र गुलाबचंद जाति जैन निवासी बडगांव, तहसील रानीवाडा कला जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

5) राजस्व अपील संख्या :—204 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 204

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
पारसमल पुत्र उत्तमचंद जाति जैन के का.मु.— 1/1 मंजू पत्नि पारसमल 2/2 निपम पुत्र पारसमल 1/3 किन्जल पुत्र पारसमल 1/4 प्रियंक पुत्र पारसमल जातिगण जैन , निवासीगण बडगांव, तहसील		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर निर्णय दिनांक 25–08–2020

उपस्थिति :–
1. श्री दिनेश खण्डेलवाल,विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, रानीवाडा

:: निर्णय ::

दिनांकः 24.12.2021

1. उक्त सभी अपीले अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा एक समान प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 25–08–2020 के विरूद्ध द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर में उक्त अपील तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत दिनांक 03.09. 2019 को निर्णीत प्रकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। उक्त सभी अपीलों में विवादित आराजी, विवाद की विषयवस्तु एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से इस निर्णय के द्वारा निर्णीत की जा रही है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण ग्राम बडगाँव तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के खसरा नंबर 791 किस्म गै.मु. ओरण बाबत विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2012 में धारा 91 आर एल आर एक्ट अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गये थे। ये प्रकरण जिला सर्तकता प्रकरण सख्या 17/2012 द्वारा गुमानमल पुत्र जेठाराम माली बडगांव द्वारा शिकायत करने पर दर्ज हुये व दिनांक 24.02. 2012 को आयोजित सर्तकता समिति की बैठक में उक्त प्रकरण में अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की पालना रिपोर्ट करने के निर्देश प्राप्त होने पर उक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध नायब तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अंतर्गत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जिसके कम में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2020 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट राज्य सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के अनुसार बहस प्रस्तुत की गई कि उक्त अपीलान्टगण के प्रत्येक द्वारा खरीद सुदा अलग–अलग आवासीय परिसर बडगाव की आबादी में आया हुआ है। जो भुतपूर्व जागीदार श्री मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह जी, राजपुत निवासी बडगांव के लगभग 40 वर्ष पूर्व खरीद कर उस पर कब्जा प्राप्त किया है तब से बहैसियत मालिक उस पर काबिज हैं। जागीर कमिश्नर द्वारा अपने निर्णय में वादग्रस्त परिसर को मंगलसिंह व्यक्तिगत सम्पति माना है वादग्रस्त परिसर पूर्व में चक्की वाला परिसर के नाम से जाना जाता था। उपजिलाधीश (जागीर) जालौर ने भी अपने पत्र दिनांक 08/11/1962 में पूर्व खसरा नम्बर 622 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 791 जिसमें वादग्रस्त परिसर स्थित है उसे बडगांव के भूतपूर्व जागीदार की सम्पति माने जाने

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की सिफारिश की थी एवं जागीर कमिश्नर द्वारा बाद सुनवाई वादग्रस्त परिसर को भूतपूर्व जागीदार की निजी सम्पति घोषित किया गया इस कारण यदि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ओरण के रूप में दर्ज की गई है तो प्रथमदृष्टया अवैध व गलत है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य हैं।

वर्ष 1974 में पूर्व खसरा नम्बर 622 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 791 में खडे पूराने पेड आदी व बारिश में गिर गये थे तथा जब भूतपूर्व जागीदार द्वारा पेड हटाने का प्रयास किया गया तो पटवारी हल्का द्वारा हटवाने में बांधा उत्पन्न की गई एवं तत्कालीन जागीदार श्री मंगलसिह के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है जिसका प्रकरण संख्या 40/1974 चला जो परगना अधिकारी भीनमाल के न्यायालय में चला जिसमें उपरोक्त भूमि को जागीदार की सम्पति मानते हुए वृक्षो का रिलीज किया गया। परगना अधिकारी के आदेश पर मौका जॉच की गई थी जिसमें पूर्व खसरा नम्बर 622 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 791 स्कूल, हॉस्पीटल व सडक दर्शायी गई तथा चक्की के आगे पीछे चारो दिशाओं के पडौस बीच की खाली भूमि को जागीदार की सम्पति मानते हुये कार्यवाही समाप्त की गई प्रकरण संख्या 01/2014 कें भी कलेक्टर जोधपुर ने अपनी की गई पैमाईस के आधार पर किय गये निर्णय दिनांक 23/12/2015 के निर्णय कें वादग्रस्त परिसर को भूतपूर्व जागीदार की निजी सम्पति माना है जिससे दूबारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नही चलाई जा सकती है।

न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा ने अपीलान्ट को अतिकमी मान कर बेदखल करने में भारी भूल की है जब पूर्व मालिक मंगलसिंह के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही चलने योग्य नहीं माना गया एवं अपीलान्ट खरीददार है तो मंगलसिंह के फुटप्रिन्ट पर आया है मंगलसिह के तमाम अधिकार अपीलान्ट में निहित हो जाते है अधिनस्थ न्यायालय ने तमाम दस्तावेजी साक्ष्य को दरगुजर करते हुये मात्र राजस्व रैकर्ड की प्रविष्टि को सत्य मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि उक्त प्रकरण में राजस्व रैकर्ड की प्रविष्टि को खण्डित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य रैकर्ड पर उपलब्ध है। इन हांलात में अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त किय जाने योग्य है।

उक्त अपीलान्ट वादग्रस्त परिसर पर रजिस्टर्ड बेचान के माध्यम से काबिज है। एवं जागीर पुनग्रहण से पूर्व तत्कालीन जागीदार व्यक्तिगत तौर पर काबिज था एवं चक्की चलती थी। जिससे भी प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी ओरण के रूप में नही रही तथा ओरण के रूप में दर्ज होना मात्र एक रैकर्ड की भूल है। अपीलान्ट का मकान पूराना निर्मित है समय समय पर उसके द्वारा मरम्मत भी करवाई गई है। वर्तमान में उक्त परिसर में कई वर्षों से मकान व दुकाने बनी हुई है एवं उक्त भूमि का किसी भी रूप में ओरण भूमि के रूप में उपयोग हुआ है एवं ओरण / चारागाह भूमि अस्पताल स्कूल व रास्ते की भूमि में समाहित है एवं तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मौके की भौतिक स्थिति का सर्वे करवाया गया था जिसमें भी आम लोगो के निवास व दुकाने आई हुई है एवं उक्त भूमि जागीरदार की भूमि मानते हुए सत्यापन किया गया है। उक्त भूमि के अलावा अपीलान्ट के पास अन्य कोई रहने का मकान नहीं है और अपीलान्ट अपना इन्ही भूखण्ड पर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

वर्षों पूर्व से मकान बनाकर निवास करता आ रहा है एवं वर्तमान में अपीलान्ट के पास घनी आबादी क्षेत्र है।

अधिनस्थ न्यायालय माननीय राजस्व मंडल अन्य न्यायालय के आदेश तथा उसमें दिये गये मार्गदर्शनों को दरगुजरकरते हुये एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों को दरगुजर करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं

उक्त अपीलांट के नाम ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पट्टा भ्त्री दिंनाक 16/09/2010 को राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1994 के नियम 157 के तहत जारी किया जा चुका है। जिसे सक्षम न्यायालय में चुनौती आज रोज तक नहीं दी गई है। इन हालात में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त अपीलान्ट अपने व्यापार के कार्य में मुम्बई निवास करता है तथा उसे उपरोक्त मुकदमे में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रथम अपील के निर्णय की जानकारी समय पर नही दे सकने एवं लोक डाउन के कारण साधनों का आवागमन कम होने की वजह से न्यायालय जिला कलेक्टर निर्णय दिनांक 25.08.2020 के विरूद्ध द्वितीय अपील समय पर प्रस्तुत नही कर सका। जिस हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील उक्त अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का कुर्क सुदा मकान कुर्की से मुक्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

4. रेस्पोडेण्ट सरकारी पैरोकार तहसीलदार, रानीवाडा ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि– उक्त प्रकरण में विवादित भूमि किस्म गै.मु. औरण है। जिसको चारागाह समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा माना हुआ है। एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन.गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में राजस्थान राज्य में वन के चिन्हीकरण के संबंध में दायर की गई Interlocutory Apolication(I.A.)में निर्णय दिनांक 03.07.2018 में गै. मु. ओरण को वन भूमि माना है। उक्त भूमि गै.मु. ओरण होने से नियमन एवं आंवटन योग्य नही है। जिससे उक्त प्रकरण निरस्त योग्य है। साथ ही अपीलांट को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बायत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

2.12.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जा सकता है। रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आवादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील को खारिज फरमावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण के समस्त तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा प्रकरण में विभिन्न अधिनस्थ न्यायालयो एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी में पारित निर्णय का अवलोकन करने पर विधिक स्थिति निम्नानुसार है–

I- मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंवर 791 रकवा 120 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संर्वत् 2068 में उक्त अपीलाण्टगण प्रत्येक द्वारा नाजायज कब्जा करने पर पटवारी हल्का वडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को गैर सायलो को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया जाकर बाद सुनवाई के दिनांक 28.12.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/–रूपये से दंडित किया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

II- निर्णय दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.07.2016 को अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये।

III- प्रकरण रिमांड होने पर नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 14.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई तारीख 02.08.2016 रखी गई। जिसमें वाद सुनवाई के दिनांक 08.06.2017 को तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित किया गया कि खसरा नंबर 791 रकबा 120 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अवैध रूप से पक्का मकान वना लिया है। अतः अतिकमी को दोषी माना जाकर लगान दर रूपये 01/–का पचास गुणा रूपये 50/–अक्षरे रूपये पचास मात्र का जुर्माना किया जाता है। जो वसूल हो। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जाये तथा भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भौतिक रूप से वेदखल करने हेतु संबंधित पटवारी हल्का को लिखा जाये तथा भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक वडगांव व पटवारी हल्का वडगांव को नियुक्त किया जाता है।

IV- उक्त निर्णय की पालना हेतु ईजराय नोटिस जारी होने पर उक्त अपीलाण्ट की ओर से निर्णय दिनांक 08.06.2017 को रिव्यु करने हेतु

24.12.2019

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 05.09.2018 को निर्णय पारित कर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को तहसीलदार रानीवाडा द्वारा खारिज किया गया।

V- निर्णय दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध दिनेश कुमार द्वारा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में निगरानी/एलआर/7149/2018/जालोर उक्त अपीलाण्ट द्वारा दायर करवायी गई। निगरानी के निर्णय दिनांक से स्वीकार की जाकर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2018 एवं 08.06.2017 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेबन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे।

VI- राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 21.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 03.09.2019 को निर्णय पारित किया कि उक्त अपीलाण्ट द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थीयो को धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। गैर सायल दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/–रूपये का पचास गुणा 50/–अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

VII- न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के द्वारां पारित निर्णय दिनांक 03.09.2019 के विरूद्ध उक्त अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, कि उक्त अपीलांट की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया गया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में कम सख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आबादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से जरिये वैचान दस्तावेज के अपीलांट द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना भी अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट की ओर से कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बावत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है।

24.12.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुये है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार को निजी सम्पति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो जमाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से सावित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालाकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में कम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलांट वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रेकर्ड में दुरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

इस प्रकार जिला कलेक्टर, जालोर के विवेचन के अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण से किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नही हो जाती है। तव तक उक्त अपीलांट किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलाधीन पारित निर्णय दिनांक तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णयो दिनांक 03.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही मानकर अपीलांट की अपील खारिज की गई ।

VIII- हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 25.8.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

6. प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई । उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं रेस्पोडेण्ट सरकारी पैरोकार तहसीलदार, रानीवाडा की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु परिलक्षित होते है–

14.12.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

I- हस्तगत प्रकरण में गौर करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण विन्दु यह है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2018 में इस प्रकरण को विस्तार से विचारण करने उपरान्त दिये गये निर्देशों कि पालना अक्षरशः अधीनस्थ न्यायालय यथा न्यायालय तहसीलदार, रानीवाड़ा और न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय मूल भावना के अनुसार कार्यवाही की गई अथवा नही।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित उक्त निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार की पत्रावली बावत निम्न विवेचन किया है कि–

> **" प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का कि विचनाधीन आराजी एवं जागीर कमिश्नर के आदेश में अंकित आराजी एक ही है अथवा अलग–अलग है, इसकी कोई जांच कर परीक्षण कर स्वतः स्पष्ट विवेचन कर निर्णय निष्कर्ष देकर निस्तारण नही कर सरसरी तौर आराजी को ओरण अंकित होना मानकार निर्णय दिया है । जिसका समर्थन नही किया जा सकता ।"**

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी निर्णय में उक्तानुसार किय गये विवेचन की अनुपालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त भूमि की मौके पर जागीर निर्णय दिनांक 19.1.63 में अंकित हदहदूद बावत जांच करवाकर अपना निष्कर्ष अंकित किया जाना अपेक्षित था जिसकी अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा की आदेशिका दिनांक 05.02.2019 अनुसार भू.अ.नि. बडगांव व पटवारी हल्का बडगांव व पटवारी हल्का कागमाला व ग्राम विकास अधिकारी, बडगांव की टीम का गठन किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पारित निर्णय दिनांक 03.9.2019 अनुसार तैयार मौका फर्द अनुसार "मौक पर चक्की/मकान मौजूद नही पाया गया । पूछताछ करने पर लोगो द्वारा पहले चक्की व मकान होने का सीन बताया गया। ख.न. 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गै.मु. ओरण भूमि में दुकाने व आवासीय मकानो के अलावा शेष खाली भूमि जिस पर चार दीवारी बनाई हुई है।" एवं आगे यह भी अंकित किया गया की ख.न. 791 के पुराने ख.न. 622 बनते है जिसका हवाला जागीर कमीशनर जयपुर के निर्णय में कही पर भी नही है।

इस क्रम में यह महत्वपूर्ण है कि अपीलाण्टगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो से यह भी परिलक्षित है कि जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 से पूर्व उक्त उप जिलाधीश जागीर जालोर द्वारा दिनांक 8.11.1962 को प्रस्तुत मौका फर्दरिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें इस भूमि के हद हदूद की स्पष्ट रूप से बताई हुई है, जिसे वर्तमान में मौके पर भलीभाती पहचान की जा सकती है। उक्त मौका फर्द के विन्दू संख्या (क)(4) के अनुसार यह भूमि निम्नानुसार है।

> **"चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है उसके चारो तरफ पुरानी बाड की हुई है, जिसके पूर्व में आम**

24/12/2019
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

रास्ता, पश्चिम में दरोगा जेता, भाला व समरथा वगैरों के मकान व सूरजकुंड का रास्ता, उत्तर में दरवाजा व दक्षिण में देवस्थान का वगीचा है।"

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.12.2018 की अनुपालना में तहसीलदार, रानीवाडा ने एक टीम आई.एल.आर की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी व दो पटवारी की गठित टीम द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट में इस भूमि को मौके पर चिन्हित करने हेतु ध्यान पूर्वक कार्यावाही सम्पन्न नही की गई तथा पुनः मौके की सरसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई एवं तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3.9.2019 मे यह स्पष्टतः निर्णीत नही किया गया कि यह भूमि जागीरदार वाली ही भूमि है या अन्य कोई अलग भूमि है एवं न ही जिला कलेक्टर जालोर ने प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2020 में इस बिन्दू पर अपना निष्कर्ष/विवेचन अंकित किया गया है।

यद्यपि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर की पत्रावली में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भी यह प्रथम दृष्टया प्रकट होते है कि जागीर कमीश्नर, जयपुर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में जिस चक्की का मकान व उसके आगे पीछे खुली पडी भूमि को जागीरदार की निजी सम्पति माना है। उसका उल्लेख प्रकरण में प्रस्तुत वेचान दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत के पट्टे हद हदूद से इस प्रकरण की भूमि के जागीर वाली ही भूमि होना प्रतीत होता है परन्तु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने निर्णय पुनः पारित करने से पूर्व स्पष्टतः निर्धारित करना चाहिए था कि यह भूमि धारा 91 आरएलआर एक्ट 1956 की कार्यवाही वाली भिन्न भूमि है अथवा जागीर आयुक्त के निर्णय वाली भूमि है। एवं यदि यह भूमि जागीर वाली भूमि है तो इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही को उचित नही माना है।

II- इस प्रकरण में जागीर आयुक्त के निर्णय दिनांक 19.1.1963 अनुसार इस भूमि को गै.मु.आबादी मानकर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट को आबादी भूमि के पट्टे भी जारी किये थे, एवं इन पट्टो को सक्षम कार्यवाही द्वारा ही निरस्त करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा द्वारा धारा 91 की कार्यवाही करना विधि की दृष्टि से भी उचित प्रतीत नही होता है।

III- जागीर कमीश्नर के निर्णीय दिनांक 19.11.1963 की अनुपालना में यदि यह भूमि खसरा न. 791 में गै.मु. ओरण जागीरदार की चक्की के मकान वाली भूमि ही है तो राजस्व अभिलेख में इस भूमि की आबादी में किस्म परिवर्तन की कार्यवाही बाबत तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रकरण तैयार कर सक्षम स्तर पर प्रशासनिक रूप से उचित निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना भी अपेक्षित है, ना कि मात्र यह निर्देश देना कि प्रार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे,क्योकि अनावश्यक Litigation बढाने में जनहित(public interest) नही है। लोक हितकारी प्रशासन का ध्येय जनहित सरंक्षण करना भी है। लोगो को अनावश्यक मुकदमें बाजी में धकेलकर न्याय प्रशासन को बोझिल करना व्यवहारिक रूप से उचित नही है। साथ ही इस बिन्दु पर प्रशासनिक निर्णय भी समयबद्ध ही लेना अपेक्षित है। प्रकरण में उक्त बिन्दु पर प्रशासनिक

24.12.2021
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

सक्षम स्तर पर निर्णय होने के उपरांत ही यदि अवश्यक है तो धारा 91 आरएलआरएक्ट की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा के निर्णय दिनांक 03.09.2019 एवं न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 25.08.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, रानीवाडा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के अनुसार जब तक सक्षम प्रशानिक स्तर पर कार्यवाही उपरान्त यह अभिनिर्धारित नही हो जाता है कि विवादग्रस्त भूमि की किस्म गै.मू. ओरण ही रहेगी **अथवा** जागीर कमिश्नर,जयपुर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 की अनुपालना में सक्षम स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही उपरान्त भूमि की किस्म गै.मु. आबादी परिवर्तन की जाती है, तब तक तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अंतर्गत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट 1956 की कार्यवाही को स्थगित रखी जाए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)